

न्यायालय :- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, बालाघाट(म.प्र.)
पीठासीन अधिकारी-सचिव ज्योतिषी

व्य.वाद क.- 62ए/2015
प्रस्तुति दिनांक 10.8.2015

- 1-प्रभुलाल पिता रतनलाल उम्र 52 साल
 - 2-नंदलाल पिता रतनलाल उम्र 60 साल
 - 3-चिंतामन पिता गलडू, उम्र - 40 साल
 - 4-गनपत पिता गलडू, उम्र - 45 साल
 - 5-छप्पनलाल पिता गलडू, उम्र 50 साल
- जाति लोधी, सभी निवासी ग्राम धापेवाड़ा
तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.).....

आवेदकगण / वादीगण

बनाम

- 1-गोरेलाल पिता नन्हू, उम्र- 40 साल, निवासी ग्राम धापेवाड़ा तहसील एवं जिला बालाघाट(म.प्र.)।
- 2-तेजलाल पिता बटन उम्र - 52 साल निवासी ग्राम धापेवाड़ा तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)
- 3-सुखलाल पिता अन्नदी उम्र 72 साल, निवासी ग्राम रोशना तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)
- 4-इन्द्राबाई पति राजकुमार(पिता गलडू) उम्र 42 साल निवासी ग्राम बघोली, तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)
- 5-श्रीमती चंद्राबाई पति देवीलाल(पिता गलडू) उम्र 36 साल निवासी ग्राम भरवेली(गोडीटोला), तहसील जिला बालाघाट(म.प्र.)
- 6-श्रीमती कलाबाई, विधवा गलडू उम्र 70 साल, निवासी ग्राम धापेवाड़ा तहसील एवं जिला बालाघाट(म.प्र.)
- 7-रेखलाल पिता रतनलाल उम्र 65 साल निवासी ग्राम धापेवाड़ा तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)
- 8-चंदूलाल पिता रतनलाल उम्र 61 साल निवासी ग्राम धापेवाड़ा तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)
- 9-संतलाल पिता रतनलाल उम्र 50 साल निवासी ग्राम धापेवाड़ा तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)
- 10-गुलाबत्तीबाई पति नान्हो(रतनलाल) उम्र 60 साल, निवासी ग्राम मुरझड़, तहसील लालबरी जिला बालाघाट(म.प्र.)
- 11-रामवंती पति हरिचंद(रतनलाल) उम्र 62 साल निवासी ग्राम मुरझड़ तहसील लालबरी जिला बालाघाट(म.प्र.)
- 12-शांतिलाल पिता बीघनलाल उम्र 57 साल निवासी ग्राम धापेवाड़ा तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)

13-श्रीमती फूलीबाई विधवा भोला उम्र 72 साल
निवासी ग्राम धापेवाड़ा तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)

14-श्यामाबाई पति दशरू उम्र 63 साल निवासी
ग्राम बगदरा तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)

15-तीजूलाल पिता बीपतलाल उम्र 38 साल निवासी
ग्राम धापेवाड़ा तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)

16-धीरज पिता बीपतलाल उम्र 35 साल निवासी
ग्राम धापेवाड़ा तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)

17-श्यामाबाई पति थानीलाल उम्र 40 साल निवासी
ग्राम टवेझरी तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)

18-मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट(म.प्र.).....अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

आदेश

आज दिनांक 14.09.2015 को पारित

1- इस आदेश के माध्यम से वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य0प्र0सं0(आई.ए.नंबर 1) का निराकरण किया जा रहा है।

2- वादी तथा प्रतिवादी के मध्य वादपत्र में दर्शित वंशावली अनुसार आपसी रिश्तेदारी होना तथा एक ही खानदान के होना अविवादित है। अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य अविवादित नहीं है।

3- आवेदन का सार यह है कि उभयपक्ष के पूर्वजों की भूमि ग्राम धापेवाड़ा तहसील व जिला बालाघाट में स्थित है जिसे वादग्रस्त भूमि कहा गया है। उक्त वर्णित भूमि अधोलिखित है :-

खसरा नंबर 54/1 रकबा 0.370, खसरा नंबर 106/4क/1 रकबा 0.089, खसरा नंबर 106/5 रकबा 0.381, खसरा नंबर 161/1 161/2 रकबा 2.036, खसरा नंबर 168/2 रकबा 0.223, खसरा नंबर 169/1 रकबा 0.421, खसरा नंबर 171/1 रकबा 0.012, खसरा नंबर 171/2 रकबा 0.166, खसरा नंबर 199/1 रकबा 0.206, खसरा नंबर 199/2 रकबा 0.178, खसरा नंबर 232/1 रकबा 0.396, खसरा नंबर 240/1 रकबा 0.445, खसरा नंबर 241/1 रकबा 0.494, खसरा नंबर 243 रकबा 0.032, खसरा नंबर 244 रकबा 0.024, खसरा नंबर 252/2 रकबा 0.231, खसरा नंबर 270/1 रकबा 0.260, खसरा नंबर 272/1 273/1 रकबा 0.660, खसरा नंबर 290/1 रकबा 0.312, खसरा नंबर 306/8ग रकबा 0.029, खसरा नंबर 342/2घ 344/4 रकबा 0.809, खसरा नंबर 312 रकबा 0.073, खसरा नंबर 342/2ज 344/2 रकबा 0.450, खसरा नंबर 344/3 रकबा 0.364, खसरा नंबर 378/4 रकबा 0.271 हैक्ट0

4- उक्त भूमि का प्रतिवादी क्रमांक 1, 2, 3 ने वादीगण को सूचना दिये बिना सांठगांठ कर नया बंटवारा कराया है और आवेदकगण के कब्जे की खसरा नंबर 378/4 व 169/1क भूमि में स्वयं का नाम दर्ज करा लिया है। उभयपक्ष के पूर्वजों की मृत्यु के बाद उभयपक्ष का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ है तथा आपस में मौखिक बंटवारा कर उभयपक्ष अपने-अपने हिस्से की भूमि पर पृथक-पृथक काबिज होकर कृषि कर रहे हैं। दिनांक 10.6.2015 को अनावेदकगण ने ऋण पुस्तिका प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया तथा कब्जे के मान से अलग अलग नाम दर्ज कर ऋण पुस्तिका बनाने का आवेदन दिया और राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ कर पृथक ऋण पुस्तिका बनवा लिया है। प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 एवं 3 भूमि को विक्रय करने प्रयासरत

हैं। आवेदकगण ने जानकारी प्राप्त होने पर दस्तावेजों की नकल निकलवाया तब उन्हें ज्ञात हुआ कि दिनांक 21.7.2015 को किया गया बंटवारा अवैध, झूठे हस्ताक्षर प्राप्त कर कोरे कागज में हस्ताक्षर लेकर सहमति पत्र के आधार पर कराया गया है और नामांतरण पंजी क्रमांक 16 में रजिस्ट्री करवाकर अवैध बंटवारा करा लिया गया है। दिनांक 23.6.2015 का उक्त बंटवारा आदेश अवैध है, उसे शून्य घोषित किया जावे। उभयपक्ष के मध्य 40-50 वर्षों से आपसी सहमति से मौखिक बंटवारा हो चुका है। उसी पर आधारित कर बंटवारा घोषित किया जाना था, किंतु राजस्व अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। प्रतिवादीगण ने कीमती भूमि स्वयं रख ली और कम मूल्य की भूमि आवेदकगण को प्राप्त होना बताया गया है। राजस्व अधिकारियों ने शामिल शरीक भूमि खसरा नंबर 342/2ज एवं 344/3, 4 दोनों का रकबा 0.203 हेक्टेयर का बंटवारा न कर प्रतिवादी शांतिलाल के नाम पर दर्ज कर दिया और भूमि खसरा नंबर 378/4 रकबा 0.271 हेक्टेयर जो वादी की पैतृक भूमि थी, पर प्रतिवादी क्रमांक 2 तेजलाल के हिस्से में दे दिया जो अवैध है।

5— प्रतिवादी तेजलाल उक्त भूमि को धनसिंह के हक में बिक्री करने प्रयासरत है क्योंकि वह पूर्व में सौदा कर चुका है। इसी प्रकार खसरा नंबर 169/1क रकबा 0.089 हेक्टेयर प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 3 की है, राजा सीमेंट वाले को विक्रय करने प्रयासरत है। जबकि उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा एवं स्वामित्व है। यदि विक्रय हो जाता है तो क्रेता वादीगण को बल के प्रभाव से बेदखल कर देंगे जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः वाद लंबने काल में वादपत्र का निष्पादन रोका जावे। संपत्ति के विक्रय से वादी बाहुल्यता होगी। जबकि प्रतिवादीगण को कोई असुविधा नहीं होगी। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। अतः प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वादग्रस्त संपत्ति को विक्रय करने से रोके जाने हेतु आदेश पारित किया जावे।

6— प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से उक्त आवेदन को कंडिकावार अस्वीकार करते हुए प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है जिसका सार यह है कि, पूर्वजों के समय से की गई व्यवस्था चल रही थी किंतु प्रतिवादी शांतिलाल एवं रतनलाल द्वारा सुखवंतीबाई पति सुखलाल एवं सुखलाल पिता फेकन को खसरा नंबर 378/4 के रकबा 1.34 एकड़ में से 0.67 डिसमिल भूमि दिनांक 5.1.2000 को विक्रय कर दिया जबकि अन्य खातेदारों के नाम भी सम्मिलित थे, फिर भी किसी से सहमति नहीं ली गई। इसके बाद सभी खातेदारों ने खसरा नंबर 169/1 में से 0.052 हेक्टेयर भूमि दिनांक 14.5.2012 को शंकर रंगलानी को विक्रय कर दी जिसकी रकम शांतिलाल ने प्राप्त किया था। बार बार विवाद उत्पन्न करने के कारण तहसीलदार के समक्ष बंटवारा हेतु आवेदन दिया गया। खसरा नंबर 378/4 में से 0.66 डिसमिल भूमि वादी छप्पन के पिता ने दिनांक 10.11.1984 को गुहदड़ को विक्रय किया है। बंटवारा हेतु तहसीलदार ने पटवारी को ज्ञापन प्रेषित किया था जिसके द्वारा वादपत्र की कंडिका 3 में दर्शित भूमि का बंटवारा हुआ है। सभी को बंटवारा कार्यवाही के नोटिस प्रेषित हुए थे। मौके पर पटवारी ने नाप करके कब्जे के अनुसार भूमि अलग किया था। इसके बाद सभी खातेदारों को भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्राप्त हुई है। प्रतिवादी क्रमांक 3 के कब्जे की भूमि वह पहले ही बिक्री कर चुका है।

7— प्रतिवादी तेजलाल ने खसरा नंबर 370/4 की भूमि धनसिंह को बेचने बाबत सौदा किया है क्योंकि यह भूमि उसे प्राप्त हुई है और वह पूर्व से इसमें काबिज था। इसी प्रकार खसरा नंबर 169/1क गोरेलाल ने बिक्री करने का सौदा किया था जिस पर सभी सहमत थे किंतु बाद में वादी छप्पन लाल और प्रभूलाल के दिल में खोट आ गया तब उन्होंने प्रतिवादीगण से कपट संधि कर यह वाद प्रस्तुत किया है जिसके कारण विक्रय नहीं हो पायेगा। प्रतिवादी स्वयं के हिस्से की भूमि को पारिवारिक

आवश्यकता के कारण विक्रय करने का अधिकार रखता है। उसे प्रतिबंधित किये जाने से क्षति होगी और अनेक परेशानियों में उलझना पड़या। वादी ने जो विवादित भूमि बताया है उस समय गलडू और राघन ने दिनांक 18.10.84 को 0.66 डिसमिल भूमि गुहदड़ को बिक्री किया था जिसके बारे में वादपत्र में कोई कथन नहीं है। इसी तरह शांतिलाल ने भी भूमि विक्रय किया है और सभी खातेदारों ने भी भूमि विक्रय की है जिनकी राशि प्रतिवादी क्रमांक 12 शांतिलाल ने रखा है। इस तथ्य को वादपत्र में छुपाया गया है। पूर्व विक्रय के संबंध में भी तथ्यों को उठाया गया है। वादीगण ने अन्य प्रतिवादीगण के साथ मिलकर बड़ी चालाकी से वाद पेश किया है और मात्र दो खसरे नंबरों को विवादित दर्शाया है। जबकि तहसील न्यायालय से विवादित सभी खसरा नंबरों का बंटवारा किया गया है। लिखित कथन में बंटवारा के अनुसार प्राप्त हुई भूमि का विवरण भी दिया गया है और यह यह बताया गया है कि बंटवारा करते समय सभी की उपस्थिति में पटवारी ने बंधी का नाप किया था, नजरी नक्शा बनाया था। नाप के समय पंचनामा में परिवार के मुखिया के नाते शांतिलाल, छप्पनलाल, गोरेलाल, तेजलाल, प्रभूलाल, रेखलाल के पुत्र पवन नगपुरे(खातेदारों) ने हस्ताक्षर किये थे क्योंकि रेखलाल और सुखलाल लकवे से पीड़ित थे। संशोधन प्रंजी में सभी खातेदारों ने हस्ताक्षर किये हैं। इसके बाद भी झूठे तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 को परेशान करना चाहते हैं।

8- बंटवारे में आई भूमि व राजस्व अभिलेखा में इन्द्राज खसरा नंबर अनुसार प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से में काबिज है। खसरा नंबर 378/4 रकबा 0.271 में प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 और खसरा नंबर 169/1 रकबा 0.089 में प्रतिवादी क्रमांक 1 का कब्जा है। प्रतिवादी सुखलाल पूर्व में ही अपने हिस्से के मान से बंटवारे में शामिल नहीं है किंतु उसे भी जान बूझकर पक्षकार बनाया गया है। प्रस्तुत वाद एवं आवेदन पोषणीय नहीं है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः आवेदन निरस्त किया जावे।

9- प्रतिवादी क्रमांक 3, 6, 8 एवं 17 की ओर से उक्त आवेदन को कंडिकावार स्वीकार किया गया है तथा अपने विशिष्ट कथन में बताया है कि रेमन नगपुर एवं संतलाल नगपुरे निवासी ग्राम धापेवाड़ा द्वारा राजस्व अधिकारी को एक आवेदन बंटवारा के पश्चात दिया गया है जिसमें जांच का आदेश पारित किया गया है और रा.नि.मं. बालाघाट द्वारा दिनांक 18.08.2015 को जांच पंचनामा तैयार किया गया जिसमें मौके के अनुसार एवं आपसी सहमति अनुसार विभाजन नहीं हुआ है विभाजन त्रुटिपूर्ण होने से आपसी सहमति से किया गया विभाजन निरस्त कर पुनः नये सिरे से विभाजन किया जाना आवश्यक है। खातेदारों को जमीन पूर्व बंटवारा में हिस्से में मिली थी उस जमीन में से सुखलाल और गोरेलाल ने नंदलाल और प्रभूलाल को अपने हिस्से की एक एकड़ जमीन बेच दिया है जिसमें सभी खातेदार सहमत है यह जमीन अन्य खातेदारों के खाते से नहीं काटी गई तथा सुखलाल के खाते से काटकर गोरेलाल के खाते में चढ़ा दी गई है इस तरह प.ह.नं.11 में अना.क.1,2,3 को छोड़कर मौके पर किसी को भी नहीं बुलाया गया है और न ही उन्हें अवगत कराया गया। यह कार्य तैनात पटवारी ह.नं.11 जिसका टासर्फर प.ह.नं.12 में हो गया है से मेल करने गलत बंटवारा किया।

10- आवेदन के सम्यक निराकरण के लिए निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं:-

- (1)- क्या प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है ?
- (2)- क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी ?
- (3)- क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?

— विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 की विवेचना एवं निष्कर्ष —

11— विवादित भूमि पर उभयपक्ष ने अपना-अपना कब्जा होना बताया है। उभयपक्ष की ओर से अपने-अपने पक्षसमर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। वादीगण की ओर से नामांतरण पंजी वर्ष 2015 में नामांतरण नंबर 16 दिनांक 10.6.2015 की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।

12— उक्त दस्तावेज के परिशीलन से प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि तत्समय उभयपक्ष, अपने-अपने कब्जे के अनुसार दस्तावेजों में बंटवारा कर संशोधन करने हेतु सहमत हुए थे और जैसा कि, उक्त दस्तावेज से दर्शित है, उसके अनुसार उस समय खसरा नंबर 378/4 पर प्रतिवादी तेजलाल का तथा खसरा नंबर 169/1क पर प्रतिवादी क्रमांक-1 गोरेलाल का आधिपत्य वादीगण ने भी स्वीकार किया है। यद्यपि वादीगण ने उक्त नामांतरण के संबंध में की गई समस्त कार्यवाही को कपटपूर्वक राजस्व अधिकारियों से मिलकर करना बताया है किंतु प्रथम दृष्टया अवलोकनीय है कि उक्त नामांतरण पंजी में सभी वादीगण के भी हस्ताक्षर हैं और किसी प्रकार के दबाव पूर्वक हस्ताक्षर करवाये जाने के संबंध में प्रथम दृष्टया इस स्तर पर कोई साक्ष्य नहीं है।

13— उक्त कार्यवाही प्रथम दृष्टया मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के अंतर्गत की गई सम्यक कार्यवाही होना दर्शित है। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114ई के प्रभाव से प्रथम दृष्टया यह उपधारणा निर्मित होती है कि उक्त कार्यवाही तहसीलदार द्वारा सम्यक अनुक्रम में की गई है जिसकी वादीगण को प्रारंभ से ही जानकारी रही है। ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व कार्यवाही में कथित तौर पर किया गया कपट, कार्यवाही की अनियमितता तथा अवैधानिकता भले ही प्रकरण में साक्ष्यगत गुणावगुण का विषय हो सकती है किंतु प्रथम दृष्टया उक्त कार्यवाही की सम्यक प्रक्रिया पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है।

14— वादीगण ने पूर्व बंटवारे को मुख्यतः इन आधारों पर अवैध बताया है कि उक्त बंटवारे की उन्हे सूचना नहीं थी तथा प्रतिवादीगण ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर साठगांठ कर दस्तावेज बनाकर बंटवारा किया है। साथ ही यह आधार लिया गया है कि विवादित भूमि पर वादीगण का आधिपत्य है किंतु अवलोकनीय है कि संशोधन पंजी में स्वयं के दर्शित हस्ताक्षरों को इस स्तर पर वादीगण द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है और बंटवारा की कार्यवाही प्रथम दृष्टया सम्यक रूप से की गई होना उपरोक्त विवेचना में पाया गया है। साथ ही भूमि खसरा नंबर 378/4 तथा 169/1क में क्रमशः प्रतिवादी तेजलाल का कब्जा होना प्रथमदृष्टया पाया गया है। ऐसी स्थिति में स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में वादी का प्रथम दृष्टया कब्जा प्रमाणित न होने से, वाद प्रथम दृष्टया वादीगण के पक्ष में नहीं है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 व 3 की विवेचना एवं निष्कर्ष

15— अपूर्णाय क्षति के संबंध में वादीगण के यह कथन हैं कि यदि विक्रय कर दिया जाता है तो खरीददार उन्हें बे-दखल करेंगे और वाद बाहुल्यता बढ़ेगी किंतु विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 के विवेचन के अंतर्गत प्रथम दृष्टया भूमि खसरा नंबर 378/4 तथा 169/1क में वादीगण का आधिपत्य नहीं होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में बे-दखली की संभावना के संबंध में किये गये कथन प्रथम दृष्टया वास्तविक प्रकट नहीं होते हैं। इसी प्रकार कथित तौर पर संभावित विक्रय के विरुद्ध वादीगण

को संपत्ति अंतरण अधिनियम 1881 की धारा 52 का संरक्षण प्राप्त होगा और पृथक से वाद प्रस्तुति की आवश्यकता नहीं होगी। अस्तु इस आधार पर प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से भी वादीगण को कोई अपूर्णीय क्षति संभावित नहीं होगी।

16— यदि वाद लंबन काल में वास्तव में विवादित भूमि का विक्रय कर दिया जाता है तो वादीगण को क्रेता के विरुद्ध भी कार्यवाही करना होगा जिससे प्रकरण में वादीगण को असुविधा एवं विलंब कारित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने विक्रय की कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं बताई है। अतः संभावित विक्रय रोक दिये जाने से प्रतिवादीगण को वादीगण की अपेक्षाकृत असुविधा नहीं होगी। अस्तु सुविधा के संतुलन का बिंदु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया वादीगण के पक्ष में है।

17— अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के लिए प्रथमदृष्टया प्रकरण, अपूर्णीय क्षति तथा सुविधा का संतुलन के तीनों ही बिंदु आवेदक के पक्ष में होना आवश्यक होता है किन्तु वर्तमान प्रकरण में प्रथमदृष्टया प्रकरण तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया वादीगण के पक्ष में नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता(आई.ए.नंबर 1) निरस्त किया जाता है।

18— इस आदेश का प्रकरण के अंतिम निष्करण पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में पारित किया गया

मेरे निर्देशन पर टंकित
किया गया।

(सचिन ज्योतिषी)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बालाघाट(म.प्र.)

(सचिन ज्योतिषी)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बालाघाट(म.प्र.)